रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 206] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 22, 1975/आषाढ़ 31, 1897

No. 206] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 22, 1975/ASADHA 31, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF LABOUR

CORRIGENDUM

New Delhi, the 21st July 1975

G.S.R. 421(E).—In the Apprenticeship (Second Amendment) Rules, 1975 published at pages 1123 to 1130 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i) dated the 27th May, 1975:—

1. in page 1127,—
   (i) in line 6, for "SCHEDULF" read "SCHEDULE";
   (ii) in line 8, for "Manimem" read "Minimum";
2. in page 1128, in line 15,—
   (i) for "Mysore" read "Karnataka";
   (ii) for ":8" read "1:8";
3. in page 1129,—
   (i) in line 37, for "Engineering" read "engineering";
   (ii) in line 47, for "persons" read "person";
   (iii) in line 48, for "number of" read "number".

[No. DGET-37/1/75-AP]

ISHWAR CHANDRA Jt Secy.

श्रम मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 1975

सा० का० नि० 422 (अ).—भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग II, खंड 3, उप-खंड (i), तारीख 27 मई, 1975 के पृष्ठ 1130 से 1139 पर प्रकाशित शिक्षुता (द्वितीय संशोधन) नियम, 1975 में निम्नलिखित शुद्धियां की जाती हैं, अर्थात् :—

1. पृष्ठ 1130 पर नियम 1 के उप-नियम (i) में —"हां" के स्थान पर "इन" पढ़ें ;

2. पृष्ठ 1131 पर—

(1) पंक्ति 3 में "इंजीनियर" के स्थान पर "इंजीनियरी" पढ़ें ;

(2) पंक्ति 16 में "जान" के स्थान पर "जाब" पढ़ें ;

(3) पंक्ति 23 में "दी गई थी" के स्थान पर "दिया गया था" पढ़ें ;

(4) पंक्ति 32 में "इहां निकायों" के स्थान पर "इन निकायों" पढ़ें ;

(5) पंक्ति 33 में "सस्थात" के स्थान पर "संस्थागत" पढ़ें ;

(6) पंक्ति 35 में "निमों" के स्थान पर "निकमों" पढ़ें ;

3. पृष्ठ 1132 पर—

(1) पंक्ति 3 में "संस्थानों" के स्थान पर "स्थानों" पढ़ें ;

(2) पंक्ति 13 में "शिक्षुका" के स्थान पर "शिक्षुता" पढ़ें ;

4. पृष्ठ 1133 पर—

पंक्ति 15 में "इजिनियरी" के स्थान पर "इंजीनियरी" पढ़ें ;

5. पृष्ठ 1134 पर—

(1) पंक्ति 5 में "शिक्षुओं" के स्थान पर "शिक्षु" पढ़ें ;

(2) पंक्ति 8 में "परन्तु" के स्थान पर "परन्तुक" पढ़ें ;

6. पृष्ठ 1135 पर—

(1) पंक्ति 3 में "पूर्व" के स्थान पर "पूर्ण" पढ़ें ;

(2) पंक्ति 4 में "प्रार" के स्थान पर "और" पढ़ें ;

(3) पंक्ति 8 में "शिक्षुता" के स्थान पर "शिक्षुता" पढ़ें ;

(4) पंक्ति 10 में "नियुक्ति" के स्थान पर "नियुक्त" पढ़ें ;

(5) पंक्ति 16 में "अनूसुची" के स्थान पर "अनुसूची" पढ़ें ;

(6) पंक्ति 28 में "यथावर्जित" के स्थान पर "यथावर्णित" पढ़ें ;

7. पृष्ठ 1136 पर—

पंक्ति 13 में —

"अनुसुची" के स्थान पर "अनुसूची" पढ़ें ;

8. पृष्ठ 1138 पर—

(1) शीर्ष में "APP-6" अन्तःस्थापित कर लिया जाए ;

(2) पंक्ति 2 में "तकनीकी" के स्थान पर "तकनीकज्ञ" पढ़ें ;

(3) पंक्ति 7 में "तिमही" के स्थान पर "तिमाही" पढ़ें ;

9. पृष्ठ 1139 पर—

(1) पंक्ति 13 में "तकनीकी" के स्थान पर "तकनीकज्ञ" पढ़ें ;

(2) पंक्ति 17 में "समझी जाए" के स्थान पर "समझे जाएं" पढ़ें ;

[सं० डी० जी० ई० टी०-37 (1)/75-ए० पी०

ईश्वर चन्द्र, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975